भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या4474

दिनांक 19 जुलाई, 2019 को उत्त्र के लिए

किशोर न्याय हेतु विशेष न्यायालय

4474. श्री डी. रविकुमारः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सभी राज्य सरकारों ने किशोर अपरा धियों के विचारण के लिए विशेष अदालतें बनाने या स्थापित करने की दिशा में अनुपालन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यौन अपराधें से बालकों का संरक्षण (पोकसो) अधिनियम, 2012 के तहत स्थापित विशेष न्यायालयों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है; और

(ग) पोक्सो अधिनियम, 2012 के तहत स्थापित विशेष न्यायालयों में नियुक्त न्यायाधीशों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तंर

श्रीमती स्मृतितिज़ुबिन ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) से (ग): यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पोक्सोि अधिनियम) के कार्यान्व यन की प्राथमिक जिम्मे दारी राज्यस सरकारों के ऊपर है। पोक्सोा अधिनि2012 के प्रावधानों के अनुसार उच्चर न्या यालय के मुख्य न्यांयधीश के परामर्श से राज्यन सरकार सरकारी राजपत्र में सूचना द्वारा प्रत्येकक जिले के लिए अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष न्या यालय के रूप में किसी सत्र न्याियालय को नामित करेगी। परंतु यह कि यदि सत्र न्या यालय को बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (2006 का 4) के तहत बाल न्याायालय के रूप में अधिसूचित किया जाता है या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत समान प्रयोजनों के लिए कोई विशेष न्यासयालय नामित किया जाता है तो ऐसे न्याायालय को धारा के तहत विशेष न्याचयालय समझा जाएगा। राष्ट्रीलय बालक अधिकार संरक्षण आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार पोक्सोा अधिनियम, 2012 के तहत पंजीकृत मामलों के समय से निष्तातरण के लिए 30 अप्रैल, 2019 तक देश में 664 विशेष न्यातयालय स्था पित किए गए हैं। देश में स्थाएपित किए गए विशेष न्यागयालयों का राज्य /संघ राज्ये क्षेत्रवार ब्यौ र**अनुलग्नि-1** में उपलब्धज है। जजों की नियुक्तिβ की जिम्मे□दारी राज्य सरकारों एवं संघ राज्यि क्षेत्र प्रशासनों के ऊपर है।

*****

अनुलग्न्क -I

किशोर न्याय हेतु विशेष न्यायालय विषय पर श्री डी. रविकुमार द्वारा दिनांक 19.07.2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्नल संख्याय 4474 के उत्त र के भाग (क) से (ग) में संदर्भित विवरण

राज्योंक/संघ राज्य् क्षेत्रों से प्राप्त7 सूचना के अनुसार 30 अप्रैल, 2019 तक देश भर में स्थांपित विशेष न्याययालयों की राज्या/संघ राज्यर क्षेत्र-वार संख्या

क्र.सं.	राज्यो/संघ राज्या क्षेत्र	विशेष न्यायालयों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	14
2	असम	24
3	अंडमान और निकोबार द्वीप	1
4	अरुणाचल प्रदेश	5
5	बिहार	38
6	छत्तीसगढ़	51
7	चंडीगढ़	1
8	दिल्ली	16
9	दमन और दीव	2
10	दादर और नागर हवेली	1
11	गोवा	1
12	गुजरात	33
13	हिमाचल प्रदेश	11
14	हरियाणा	22
15	झारखंड	24
16	केरल	3
17	कर्नाटक	30
18	लक्षद्वीप	Nil
19	मणिपुर	9
20	मिजोरम	5
21	मध्य प्रदेश	51
22	मेघालय	6
23	महाराष्ट्र	36
24	नागालैंड	8
25	ओडिशा	30
26	पंजाब	22
27	पुदुचेरी	1
28	राजस्थान	55
29	सिक्किम	4
30	तमिलनाडु	32
31	तेलंगाना	10
32	त्रिपुरा	7
33	उत्तर प्रदेश	75
34	उत्तराखंड	13
35	पश्चिम बंगाल	23
	संपूर्ण	**664**